राजस्व वाद संख्या:— 166/2022
गोविन्द वगै0 बनाम संतरा देवी वगै0
निर्णय दिनांक:— 24.01.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

ासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

स्व वाद सं.— 166/2022

1. गोविन्द पुत्र स्व0 वासुदेव कुमावत, उम्र 48 वर्ष जाति चेजारा निवासी वार्ड न0 28 विश्व कर्मा मंदिर के पिछे कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. गोपाल पुत्र स्व0 वासुदेव कुमावत उम्र 46 वर्ष जाति चेजारा निवासी वार्ड न0 28 विश्व कर्मा मंदिर के पिछे कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. परमेश्वरी देवी पत्नि स्व0 वासुदेव उम्र 75 वर्ष जाति चेजारा निवासी वार्ड न0 28 विश्व कर्मा मंदिर के पिछे कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

— वादीगण

बनाम

1. संतरा देवी पत्नि शेर सिंह पुत्री स्व0 वासुदेव उम्र 55 वर्ष जाति चेजारा निवासी सार्वजनिक अस्पताल के पास लोहारू रोड़ तहसील लोहारू जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
2. सुनिता देवी पत्नि महेन्द्र मोरवाल पुत्री स्व वासुदेव कुमावत उम्र 53 वर्ष जाति कुमावत निवासी पीरू सिंह सर्किल के पास झुंझुनूं तहसील एवं जिला झुंझुनूं राज0।
3. बिमला देवी पत्नि गौरीशंकर पुत्री स्व0 वासुदेव कुमावत उम्र 50 वर्ष जाति कुमावत निवासी ऋषिपुरा मौहल्ला पुराना बस स्टेण्ड गुढा तहसील गुढा जिला झुंझुनूं राज0।
4. राधेश्याम पुत्र गौरूराम उम्र 80 वर्ष जाति चेजारा निवासी पुलिस थाने के पास वार्ड न0 25 कस्बा पिलानी, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. नन्दकिशोर पुत्र दीपचन्द उम्र 58 वर्ष जाति चेजारा निवासी धिंधवा सर्किल के पास कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. सत्यनारायण पुत्र दीपचन्द उम्र 54 वर्ष जाति चेजारा, निवासी पुलिस थाना के पिछे वार्ड न0 28 कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. कैलाश पुत्र दीपचन्द उम्र 52 वर्ष जाति चेजारा निवासी सांई मंदिर के पास भगीना रोड़ कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. सुभाष पुत्र दीपचन्द भोड़ीवाल पिलानी वाले उम्र 48 वर्ष जाति चेजारा निवासी ग्राम खेड़ला तन पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. कृष्ण गोपाल पुत्र गुलझारीलाल पिलानी वाले,उम्र 50 वर्ष जाति कुम्हार, निवासी कस्बा पिलानी, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज हाल आबाद चिकारा कॉलोनी खातीपुरा, जयपुर राज0।
10. दयानन्द पुत्र रामजीलाल, उम्र 55 वर्ष जाति चेजारा निवासी पुलिस थाना के पिछे वार्ड न0 28 कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामजीलाल उम्र 53 वर्ष जाति चेजारा निवासी पुलिस थाना के पिछे वार्ड न0 28 कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
12. गोपीराम पुत्र रामजीलाल उम्र 48 वर्ष जाति चेजारा निवासी पुलिस थाना के पिछे वार्ड न0 28 कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
13. सांवरमल पुत्र माडूराम उम्र 60 वर्ष जाति चेजारा निवासी भगतसिंह सर्किल के पास वार्ड न0 09 कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
14. रामवतार पुत्र पोकरमल उम्र 37 वर्ष जाति चेजारा निवासी भगतसिंह सर्किल के पास वार्ड न0 09 कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
15. उप पंजीयक अधिकारी, सूरजगढ़ तहसील कार्यालय सूरजगढ़।
16. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

अधिकारी

राजस्व वाद संख्याः— 166/2022
गोविन्द वगै0 बनाम संतरा देवी वगै0
निर्णय दिनांकः— 24.01.2023

दावा बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

—:: निर्णय ::—

दिनांक — 24.01.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

यह कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 14 डिक्री फरमाया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को आराजी ख0न0 1102 रकबा 0.20 है0 का काबिज खातेदार कायतकार बहिस्सा बराबर—बराबर का घोषित किया जावे प्रतिवादीगण संख्या 04 व प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 14 के पूर्वज दीपचन्द, गुलझारीलाल, रामजीलाल व माडू राम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावे।

ख) यह कि प्रतिवादीगण संख्या 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वह वादीगण के कब्जे काश्त शुदा कृषि भूमि ख0न0 1102 रकबा 0.20 है0 की विवादित भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरण व खुर्द बुर्द करने तथा वादीगण के कब्जे काश्त शुदा कृषि भूमि में दखलन्दाजी न करे।

ग) यह कि प्रतिवादी न0 15 को इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे की प्रतिवादीगण संख्या 4 के द्वारा पेश किया गया किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण प्रलेख पंजिकृत न करें।

(घ) यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 01 से दिलवाया जाकर अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय वादीगण के पक्ष में उचित समझे दिलवाई जावे।

दावा दिनांक 29.09.2022 को श्री विनोद कुमार वर्मा एड0 के द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। दिनांक 11.11.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6,10,11 ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये तथा उनकी और से श्री राकेश वर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 16.12.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6,10,11 ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया। दिनांक 20.12.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 01,2,3,7,8,9 एवं 12 लगायत 16 के गैर हाजिर होने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 03.01.2023 को वादी वकील द्वारा साक्ष्य में गोविन्दराम पी0डब्ल्यू—1 तथा बाबूलाल पी0डब्ल्यू—2 पेश किये। वादीगण वकील ने दावे में चाही गई सिद्वियो के अनुसार दावा डिक्री किये जाने के लिए निवेदन किया गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2074—77 दिनांक 07.09.2022, सत्यप्रतिलिपि नक्शा ट्रेस दिनांक 07.09.2022, सत्यप्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल दिनांक 02.09.2022, सत्यप्रतिलिपि नक्शा किश्तवार सन् 1978—79 दिनांक 23.08.2022, सत्यप्रतिलिपि नक्शा किश्तवार सन् 1936—37 दिनांक 08.03.2016, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2012—15 दिनांक 23.08.2022, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2016—19 दिनांक 06.09.2022, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2020—23 दिनांक 26.08.2022, सत्यप्रतिलिपि नामान्तरण संख्या 451 दिनांक 26.08.2022,

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः— 166/2022
गोविन्द वगै0 बनाम संतरा देवी वगै0
निर्णय दिनांकः— 24.01.2023

सत्यप्रतिलिपि नामान्तरण संख्या 387 खाता संख्या 319 दिनांक 26.08.2022, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2024—2027 दिनांक 26.08.2022, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2028—2031 दिनांक 26.08.2022, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2032—2035 दिनांक 26.08.2022, सत्यप्रतिलिपि मिशल हकियत मौजा पिलानी ठिकाना नवलगढ़ सम्वत 1999 एवं प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6,10,11 का इकबालिया जवाब।

स सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया या। वकील पक्षकारान ने दावे में चाही गई सिद्वियों के अनुसार डिक्री किया जाने पर सहमति ाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न0 1102 रकबा 0.20 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम पिलानी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 को प्रत्येक को बहिस्सा बराबर—बराबर 1/6 — 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भुमि से प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 14 का नाम हज्फ किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के कब्जे काश्त में कोई बाधा कारित नही करे। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद संख्या:– 166/2022
गोविन्द वगै0 बनाम संतरा देवी वगै0
निर्णय दिनांक:– 24.01.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 166/2022

निर्णय दिनांक :– 24-01-2023

गोविन्द वगै0 <u>बनाम</u> संतरा वगै0

<u>दावा बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती</u>

वादीगण की ओर से **श्री विनोद कुमार वर्मा एड0** व प्रतिवादी सं. 04,5,6,10,11 की ओर से **श्री राकेश वर्मा एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **24.01.2023** को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न0 1102 रकबा 0.20 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम पिलानी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 को प्रत्येक को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/6 – 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भुमि से प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 14 का नाम हज्फ किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के कब्जे काश्त में कोई बाधा कारित नही करे। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। वाद वादीगण डिकी किया जाता है ।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **24.01.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं,
पदेन उप जिला कलक्टर,